न्यायालय सहायक कलक्टर, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री मारिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 180 / 2012

वादीगण — बनाम — **प्रतिवादीगण**

वादीगण:

1. पारसमल पुत्र पुखाराम
2. सुशीला पत्नि मनोहर
3. वन्दना पुत्री मनोहर
4. आदूराम पुत्र मंगलाराम
5. शांति पत्नि कालूराम जातिगण प्रजापत निवासी हिन्दूस्तान फेक्ट्री के सामने, सोजत रोड़ तह0 सोजत जिला पाली राज0।

बनाम

प्रतिवादीगण:

01. प्रेमसिंह पुत्र सावलदान जाति जाट निवासी सोजत रोड
02. भूराराम पुत्र पुखाराम जाति सीरवी निवासी बिलावास तह0 सोजत
03. शंकरलाल पुत्र मोडाराम
04. जगदीश पुत्र मोडाराम
05. राकेश पुत्र मोडाराम
06. सोहनलाल पुत्र मोडाराम जाति प्रजापत निवासीगण सोजत
07. शंकरलाल पुत्र पुखाराम जाति छीपा दर्जी निवासी सोजत रोड़ तह0 सोजत जिला पाली राज0।
08. राजेन्द्र पुत्र अभयनन्दनमल जाति जैन निवासी पाली।
09. पूनाराम पुत्र चुन्नीलाल जाति मालवीय लौहार
10. नर्बदा पत्नि गणपतलाल
11. गणपतलाल पुत्र मांगीलाल जातिगण पारीक ब्राह्मण निवासीगण सोजत रोड़
12. तहसीलदार (भूमिधारक), सोजत।
13. नारायणलाल पुत्र नेनाराम जाति सीरवी निवासी सियाट तह0 सोजत जिला पाली राज0।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.))

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:–

1. श्री खेतसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र चौधरी, श्री दिलीप चौधरी अधिवक्तागण प्रतिवादी सं0 10, 11, 13 उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 27/05/2025

अधिवक्ता मय वादीया ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत रोड़ तहसील सोजत के खसरा नम्बर 2 रकबा 0.2480 है0 की वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादीगण द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि का मौके पर काबिज स्थिति व दर्ज हिस्से अनुसार प्रतिवादीगण से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिक बंटवाड़ा चाहा गया है। प्रकरण में

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

दिनांक 31.07.2023 को बाद सुनवाई वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादीगण की भूमि का मौका, कब्जा, रेकर्ड तथा हिस्से अनुसार बाई मिट्रा एण्ड बाउण्डरस बटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/रीडर/2025/706 दिनांक 20.05.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया, जो सा0मि0 है। प्राप्त माफिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार होने से माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 14.05.2025 वादीगण का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादीया की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 14.05.2025 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत रोड़ तहसील सोजत के खसरा नम्बर 2 रकबा 0.2480 है0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

01 ग्राम सोजत रोड़ में स्थित कृषि भूमि का विभाजन:–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा (है0)	किस्म	लगान
1.	पारसमल पुत्र पुखाराम प्रजापत	2/10	0.0140	बा0अ0	
2.	सुशीला पत्नि मनोहरलाल प्रजापत वन्दना पुत्री मनोहरलाल प्रजापत	2/11	0.0140	बा0अ0	
3.	आदूराम पुत्र मंगलाराम प्रजापत	2/12	0.0245	बा0अ0	
4.	शांति पत्नि कालूराम प्रजापत	2/13	0.0245	बा0अ0	
5.	गोपाराम पुत्र खंगारराम वगैरह शेष खाता जमाबंदीनुसार	2	0.1710	बा0अ0	

सोजत (राज.)

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 27/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1. पारसमल पुत्र पुखाराम
2. सुशीला पत्नि मनोहर
3. वन्दना पुत्री मनोहर
4. आदूराम पुत्र मंगलाराम
5. शांति पत्नि कालूराम जातिगण प्रजापत निवासी हिन्दूस्तान फेक्ट्री के सामने, सोजत रोड़ तह0 सोजत जिला पाली राज0।

प्रतिवादीगण

01. प्रेमसिंह पुत्र सावलदान जाति जाट निवासी सोजत रोड़
02. भूराराम पुत्र पुखाराम जाति सीरवी निवासी बिलावास तह0 सोजत
03. शंकरलाल पुत्र मोडाराम
04. जगदीश पुत्र मोडाराम
05. राकेश पुत्र मोडाराम
06. सोहनलाल पुत्र मोडाराम जाति प्रजापत निवासीगण सोजत
07. शंकरलाल पुत्र पुखाराम जाति छीपा दर्जी निवासी सोजत रोड़ तह0 सोजत जिला पाली राज0।
08. राजेन्द्र पुत्र अभयनन्दनमल जाति जैन निवासी पाली।
09. पूनाराम पुत्र चुन्नीलाल जाति मालवीय लौहार
10. नर्बदा पत्नि गणपतलाल
11. गणपतलाल पुत्र मांगीलाल जातिगण पारीक ब्राह्मण निवासीगण सोजत रोड़
12. तहसीलदार (भूमिधारक), सोजत।
13. नारायणलाल पुत्र नेनाराम जाति सीरवी निवासी सियाट तह0 सोजत जिला पाली राज0।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला पाली (राज.))

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वादः– 180/2012

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री श्री खेतसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता वादीगण तथा श्री महेन्द्र चौधरी, श्री दिलीप चौधरी अधिवक्तागण प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सोजत रोड़ तहसील सोजत के खसरा नम्बर 2 रकबा 0.2480 है0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

01 ग्राम सोजत रोड़ में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः–

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0रा0	रकबा (है0)	किस्म	लगान
1.	पारसमल पुत्र पुखाराम प्रजापत	2 / 10	0.0140	बा0अ0	
2.	सुशीला पत्नि मनोहरलाल प्रजापत वन्दना पुत्री मनोहरलाल प्रजापत	2 / 11	0.0140	बा0अ0	
3.	आदूराम पुत्र मंगलाराम प्रजापत	2 / 12	0.0245	बा0अ0	
4.	शांति पत्नि कालूराम प्रजापत	2 / 13	0.0245	बा0अ0	
5.	गोपाराम पुत्र खंगारराम वगैरह शेष खाता जमाबंदीनुसार	2	0.1710	बा0अ0	

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27/05/2025 को जारी की गई।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (राज.)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.